

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)



RS. 30/-

राम मनोरथ कुम्हार तनय श्री पटल कुम्हार उम्र 90 वर्ष पेशा कृषि निवासी गाम बाघाडीह तहसील देवसर जिला सिंगरौली म.प्र.निगरानीकर्ता

विरुद्ध

RS 165-II/16

- 1- लवकेश सिंह तनय कृष्ण कुमार सिंह
- 2- प्रद्युम्न कुमार सिंह तनय स्व. कृष्ण कुमार सिंह
- 3- अजयपाल सिंह तनय स्व. कृष्ण कुमार सिंह
- 4- श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी पत्नी स्व. कृष्ण कुमार सिंह (मृत) द्वारा वारिसान

पुत्रीगण-

- (क) श्रीमती किरण सिंह पुत्री स्व. कृष्ण कुमार सिंह
- (ख)- श्रीमती मधु सिंह पुत्री स्व. कृष्ण कुमार सिंह
- (ग)- श्रीमती सीमा सिंह पुत्री स्व. कृष्ण कुमार सिंह

सभी निवासी ग्राम बाघाडीह तहसील देवसर जिला सिंगरौली म.प्र.

.....उत्तरदातागण/रेस्पॉण्डेंटगण

श्री. लाल प्रताप सिंह
द्वारा आज दिनांक 4-4-16 को
प्रस्तुत किया गया

सिद्धर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म.प्र. के प्र.क. 89/निगरानी/2002-03 लवकेश सिंह वगैरह विरुद्ध राममनोरथ में पारित आदेश दिनांक 21.07.2008

निगरानी अंतर्गत धारा 50(2) म.प्र.भू.रा.सं.

1959

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

यह कि निगरानीकर्ता राममनोरथ कुम्हार की पैत्रिक भूमि आ.नं. 88/6 रकबा 15.00 एकड़ ग्राम बाघाडीह तहसील देवसर जिला ^{सिंगरौली} म.प्र. में स्थित है, जिस पर बतौर भूमिस्वामी काबिज दखील है। उत्तरदाता क. 1 ता 3 के भाई व क. 4 के पुत्र स्व. राजकुमार सिंह ने गलत व अवैध ढंग से निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिपत्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5165-दो/2016

जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-5-2017	<p>आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 89/निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04-04-16 को प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा लगभग 7 से भी अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसका कोई समाधानकारक कारण म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाने पर ही उसे माफ किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(एस0एस0 अली) सदस्य</p>	